भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. †*141

सोमवार, 31 जुलाई, 2023/9 श्रावण, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पश्चिम बंगाल में पुराने पर्यटन स्थलों का विकास और नवीकरण

†*141. श्री सुनील कुमार मंडल:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास वर्तमान में अथवा भविष्य में पश्चिम बंगाल राज्य में पुराने पर्यटन स्थलों का और अधिक विकास और नवीकरण करने संबंधी कार्य के कार्यान्वयन के लिए कोई रूपरेखा है;

(ख) क्या सरकार ने वर्तमान वर्ष में ''बेलूर मठ'' के अलावा, विशेषकर पूर्बा वर्धमान में, अपने विकास सम्बन्धी उद्देश्य के लिए भारत में और अधिक पर्यटन स्थलों का पता लगाने हेतु किसी समिति या सर्वेक्षण समूह का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो पुराने पर्यटन स्थलों की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

पश्चिम बंगाल में पुराने पर्यटन स्थलों का विकास और नवीकरण के संबंध में दिनांक 31.07.2023 के लोक सभा के मौखिक प्रश्न सं. †*141 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में विवरण

(क) से (घ): पर्यटक स्थानों/स्थलों की पहचान और विकास मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) प्रशासनों की जिम्मेदारी है ।

पर्यटन मंत्रालय को राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों से पर्यटन परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं जो एक सतत प्रक्रिया है । प्राप्त प्रस्तावों की जांच निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है और विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति, प्रचालन संबंधी व्यवहार्यता और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

पर्यटन मंत्रालय ''स्वदेश दर्शन'', ''तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)'' और ''पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता'' योजनाओं के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सहित देश में विभिन्न पर्यटन गंतव्यों में पर्यटन संबंधी अवसंरचना और सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

पर्यटन मंत्रालय ने अपनी प्रशाद योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 30.03 करोड़ रु. की राशि से पश्चिम बंगाल में 'बेलूर मठ का विकास' परियोजना को स्वीकृति दी है ।

पश्चिम बंगाल राज्य में स्वदेश दर्शन, प्रशाद और केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं और आवंटित निधियों का विवरण अनुबंध में दिया गया है ।

पर्यटन मंत्रालय ने विकास के उद्देश्य से भारत में और अधिक पर्यटन स्थलों का पता लगाने के लिए किसी भी समिति अथवा सर्वेक्षण समूह का गठन नहीं किया है । तथापि पर्यटन मंत्रालय ने दिनांक 21 जून 2023 को राष्ट्रीय पर्यटन परामर्शी परिषद (एनटीएसी) का गठन किया है जिसका कार्यकाल गठन की तारीख से 3 वर्ष तक का होगा । यह परिषद एक परामर्शी निकाय है जो मंत्रालय के 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करता है और मंत्रालय को पर्यटन संबंधी विभिन्न नीतिगत मामलों पर परामर्श देता है । भारत सरकार के मंत्रालय, यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र के विशेषज्ञ और यात्रा एवं पर्यटन उद्योग संगठन इसके सदस्य हैं । उपरोक्त के अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए समय-समय पर केंद्रीय मंत्रालयों/राज्यों/हितधारकों से सुझाव/इनपुट्स लेता है और उनके साथ परामर्श/बैठकों का आयोजन भी करता है ।

*****

अनुबंध

पश्चिम बंगाल में पुराने पर्यटन स्थलों का विकास और नवीकरण के संबंध में दिनांक 31.07.2023 के लोक सभा के मौखिक प्रश्न सं. †*141 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में विवरण

स्वदेश दर्शन योजना (करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	परिपथ/ स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
1.	पश्चिम बंगाल	तटवर्ती परिपथ 2015-16	बीच परिपथ : उदयपुर-दीघा-शंकरपुर – ताजपुर –मंदारमनी – फ्रेजरगंज-बक्खलाई – हेनरी आईलैंड का विकास	67.99	65.07

प्रशाद योजना (करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	अनुमोदित लागत	निर्मुक्त राशि
1.	पश्चिम बंगाल	बेलूर मठ का विकास	2016-17	30.03	23.39

पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	केंद्रीय एजेंसी	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
वर्ष 2017-18					
1.	पश्चिम बंगाल	रामपुरहाट रेलवे स्टेशन का संयुक्त विकास	रेल मंत्रालय	3.48	1.74
2.	पश्चिम बंगाल	तारकेश्वर रेलवे स्टेशन का संयुक्त विकास	रेल मंत्रालय	3.87	1.93
वर्ष 2019-20					
3.	पश्चिम बंगाल	न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का संयुक्त विकास	रेल मंत्रालय	4.55	2.27

*****